संख्या-4/2017/832/सत्तर-6-2017-97/2017

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उ.प्र., इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2017

विषय: अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भविष्य में समूह 'घ' के रिक्त होने वाले पदों पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश वे.आ.-2-27/दस-59(एम)/2008 दिनांक 06 जनवरी 2011 के प्रस्तर-2 में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:-

''भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ श्रेणी के प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाय, परन्तु उक्त व्यवस्था उ.प्र. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।''

(2) वित्त विभाग की उक्त व्यवस्था को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सम्मिलित करने हेतु उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-14/सत्तर-1-2015-16(1)/2012 दिनांक 24 फरवरी 2015 द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली के परिनियम में सुसंगत स्थान पर सम्मिलित करने हेतु विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर (समूह ग एवं घ) कर्मचारियों की अर्हता एवं सेवा शर्तों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3) उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों पर कर्मचारियों की आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था किये जाने हेतु सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर सेवा प्रदाताओं से प्राप्त निविदाओं में उल्लिखित पारिश्रमिक की धनराशि में से प्रतिस्पर्धा के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक की दर पर कार्मिक आबद्ध किये जायँ। इस प्रकार आबद्ध किये गये कार्मिक के पारिश्रमिक के निर्धारण में यह आवश्यक रूप

से सुनिश्चित किया जाय कि उनको प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक श्रम विभाग द्वारा अकुशल कार्मिकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक से कम न हो।

(4) अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय जो राजकीय अनुदान से संचालित है, वहां सेवाप्रदाता के माध्यम से आबद्ध किये गये उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि से किया जाय। अनुदान में पारिश्रमिक भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि की अनुपलब्धता होने पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी मांग पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि की उपलब्धता विभाग द्वारा की जायेगी।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-4/2017/832(1)/सत्तर-6-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ.प्र. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समूह घ के रिक्त होने वाले पदों पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने से सम्बन्धित उपर्युल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 फरवरी 2015 के अनुसार परिनियमावली में शामिल करने के क्रम में उक्त व्यवस्था को अपने विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम में समावेशित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उ.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 / वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ.प्र. शासन।
4. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., इलाहाबाद।
5. वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ.प्र.।
6. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ.प्र.।
7. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शम्भु कुमार)
विशेष सचिव